M.P. CIVIL JUDGE CLASS-2 (ENTRY LEVEL) MAIN EXAM -2019 (Phase-II)

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 5
Total No. of Questions : 5

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 7
No. of Printed Pages : 7

ARTICLE & SUMMARY WRITING
लेखन एवं संक्षेपण

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न–पत्र

समय – 3:00 घण्टे
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of own or any Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक

1. Write an article in Hindi or English, on any one of the following ***social*** topics: **30**

निम्नलिखित ***सामाजिक*** विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:

(i) Empowerment of women.
महिलाओं का सशक्तिकरण

(ii) Economic & social impact of covid-19 pandemic
कोविड–19 महामारी के आर्थिक व सामजिक प्रभाव

2. Write an article in Hindi or English, on any one of the following ***legal*** topics:- **20**

निम्नलिखित ***विधिक*** विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :

(i) Access to justice during the lock down
लॉकडाउन के दौरान न्याय तक पहुँच।

(ii) Live-in Relationship - rights and liabilities.
लिव इन रिलेशनशिप – अधिकार एवम दायित्व

3. **Summarize one of the following English /Hindi passage –** **20**
निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए –

India is perhaps the world's most heterogeneous society with a rich heritage comprising several people ascribing to their own cultures, languages, religions and customs. It is home to eight major religions of the world. The Indian Constitution recognises religion as a source of law. With a view to protecting the rights of minorities it confers affirmative, social and cultural rights on religious groups. It guarantees the freedom of religion but enables the state to regulate religious practices on certain limited grounds.

The unique pledge of the Indian state is to treat all religions equally, which is a central tenet of the definition of secularism as understood in the context of the Constitution. Secularism simply means equal status of all religions, without any preference in favour of or discrimination against any of them.

The two central provisions regarding freedom of religion are Articles 25 and 26 of the Constitution. Article 25 guarantees the right to profess, practice and propagate religion, but also permits the state to regulate economic, financial, political or other secular activity associated with the religious practice. Article 26 guarantees religious denominations, among other things, freedom to manage their religious affairs.

The Constitution therefore guarantees freedom of religion, but also acknowledges the imperative of the state to pass legislation in aid of social reform. To balance these competing prerogatives, the Supreme Court has developed the doctrine of "essential religious practices". In cases involving asserted religious rights against regulatory state action, the court asks whether the religious practice sought to be regulated is "essential" or "integral" to the religion. This is a threshold enquiry, at the passage of which the court then asks whether the challenged law serves some purpose of reform or not. Applying this test, the court has considered a plethora of case involving controls of administration of religious property, religious practices and religious sites. The court has also held that pernicious practices such as caste-based discrimination in entry to temples, enjoys no constitutional protection.

The importance of the concept of secularism and the Constitution's guarantee of religious freedom even against the dominant public sentiment came to the fore in Bijoe Emmanuel v State of Kerala. The three appellants were school children who belonged to the Jehovah's Witnesses, a worldwide sect of Christians. During the morning assembly at school, the children stood during the recitation of the national anthem, but they refused to sing it on the ground that it was against the tenets of their religious faith. This belief has been well-established and recognised the world over and has been upheld by various courts of other jurisdictions. The Supreme Court held that the refusal to sing did not violate the Prevention of Insults to National Honour Act. 1971. The court upheld the right of an insignificant minority to retain its identity under the Constitution and maintain its religious beliefs.

In other judgments, the Supreme Court had affirmed that secularism is the bedrock of the Constitution. In S.R. Bommai and Ors Union of India and Ors, it held that in case a state government acted contrary to the constitutional mandate of secularism or worse still, directly or indirectly subverted the secular principles, that would tantamount to failure of the constitutional machinery and the state

government would make itself liable to dismissal under Article 356 of the Constitution.

Subsequently, in I. R. Coelho v State of Tamil Nadu, the court further expanded the concept of secularism and stated that the right to life under Article 21 and the right to equality under Articles 14 and 15 represent secularism in the Constitution, thereby expanding the meaning of secularism from mere religious rights to a concept where equity and equality is achieved in society.

अथवा / OR

भारत एक समृद्ध विरासत लिये हुए दुनिया का सबसे विषम समाज है, जिसके विभिन्न निवासी अपनी ही संस्कृति, भाषा, धर्म एवं रीत रिवाज को धारण किए हुए हैं। यह दुनिया के आठ प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। भारतीय संविधान ने धर्म को कानून के एक स्त्रोत के रूप में मान्यता दी है एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संरक्षा करने के उद्देश्य से धार्मिक समूहों को सकारात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किये हैं। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी तो देता है, किन्तु कुछ सीमित आधारों पर धार्मिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने की शक्ति भी राज्य को देता है।

भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथनिरपेक्षता की जो परिभाषा समझी जाती है उसमें भारत राज्य की सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की अनूठी प्रतिज्ञा पंथनिरपेक्षता का केन्द्रीय सिद्धांत है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के सभी धर्मों की समान स्थिति।

भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित दो प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 25 एवं 26 हैं। अनुच्छेद 25 धर्म को आबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की गारंटी तो देता है, किन्तु राज्य को धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक वित्तीय राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विनियमित करने की भी अनुज्ञा देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक सम्प्रदायों को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अस्तु संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी तो देता है, किन्तु सामाजिक सुधार में सहायक कानून पारित करने की राज्य की अनिवार्यता को भी स्वीकार करता है। इन प्रतिस्पर्धी परमाधिकारों में सामांजस्य बैठाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत धार्मिक क्रियाकलाप के सिद्धांत को विकसित किया है। राज्य के नियामक कदम के विरूद्ध मुखरित धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों में न्यायालय यह प्रश्न करती है कि क्या विनियमित क्रियाकलाप ऐसे धर्म का मूलभूत या अविभाज्य क्रियाकलाप है, या नहीं। यह जांच प्रारंभिक प्रकृति की होती है, जिसके बीत जाने के पश्चात् न्यायालय यह प्रश्न करती है कि ऐसा विनियमन करने वाली कोई विधि सामाजिक सुधार के किसी उद्देश्य को पूरा करती है या नहीं। इस कसौटी को लागू करके न्यायालय ने बहुतायत में धार्मिक संपत्ति के प्रशासन को, धार्मिक क्रियाकलाप एवं धार्मिक स्थलों के नियंत्रण से संबंधित प्रकरणों का विचारण किया है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मंदिरों में प्रवेश की, जाति भेद आधारित दुखदायी प्रथाएं किसी प्रकार का संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं करती।

प्रबल सार्वजनिक भावना के विरूद्ध पंथनिरपेक्षता की अवधारणा का महत्व एवं धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी की बात बिजोय इमैनुएल बनाम केरल राज्य में सामने आई। तीनों अपीलार्थी स्कूली बच्चे थे, जो दुनिया भर में फैले हुए ईसाई धर्म के समुदाय यहोव साक्षी (जिहोवा विटनेस) से संबंधित थे।

स्कूल के प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान के दौरान तीनों बालक खड़े रहे, किन्तु उन्होंने राष्ट्रगान गाने से इसलिए इनकार कर दिया कि वह उनके धार्मिक विश्वास सिद्धांत के विरूद्ध है। ऐसा विश्वास पूरी दुनिया भर में दृढ़ता से स्थापित एवं मान्यता प्राप्त है एवं अन्य क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालयों द्वारा भी बरकरार रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि राष्ट्रगान गाने से इनकार करने से "राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971" अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। अदालत ने संविधान के तहत महत्वहीन अल्पसंख्यक के उनकी पहचान बनाये रखने एवं धार्मिक मान्यताओं को प्रबंधित करने के अधिकार को बरकरार रखा है।

अन्य न्याय निर्णयों में भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पंथनिरपेक्षता को संविधान के आधार के रूप में स्वीकार किया है। एस.आर.बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार ने पंथनिरपेक्षता के संवैधानिक जनादेश के विरूद्ध कार्य किया और इससे भी बद्तर प्रत्यक्षतः या परोक्षतः पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों को उलट दिया, जो राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता एवं राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किये जाने का स्वयं दायित्वाहीन आधार गठित करती है।

पश्चात्वर्ती मामले आई.आर. कोहिलो बनाम तामिलनाडु राज्य में न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता की अवधारणा को विस्तारित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 में निहित जीवन का अधिकार एवं अनुच्छेद 14 एवं 15 में निहित समानता का अधिकार पंथनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करता है एवं इस प्रकार पंथनिरपेक्षता की मात्र धार्मिक अधिकार की अवधारणा को इस रूप में विस्तारित किया गया कि पंथनिरपेक्षता से समाज में समता एवं साम्यता के उद्दश्यों को हासिल किया जा सके।

4- Translate the following 15 Sentences into English :- **15**

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :—

(1) यह सुस्थापित है कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने में विलम्ब दावेदार के प्रकरण पर शंका करने का आधार नहीं हो सकता।

(2) अधिनियम की धारा 138 उपबन्धित करती है कि जहां एक चैक अनादरित होता है, यह समझा जाएगा कि चैक लिखने वाले व्यक्ति ने अपराध कारित किया है।

(3) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए विचारण न्यायालय ने उक्त परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है।

(4) उच्च न्यायालय की पुर्नविलोकन की शक्तियां बहुत सीमित होती है और त्रुटियां अभिलेख को देखने से ही प्रकट होनी चाहिये ।

(5) प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा लगाये गये समस्त अभिकथनों को इंकार किया।

(6) परिवादी ने उसकी स्वयं एवं उसके साक्षियों के कथन कराये एवं परिवाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की।

(7) बचाव में कमी वादीगण को अनुतोष देने और सबूत का भार प्रतिवादीगण पर अन्तरित करने का आधार नहीं हो सकती ।

(8) प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपराध का विश्वकोष होना आवश्यक नहीं है।

(9) न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करने हेतु न्यायालयों के पास सभी आवश्यक शक्तियॉ हैं।

(10) एक बार विवाद्यक विरचित हो जाने के बाद तथा लिखित कथन प्रस्तुति के पश्चात् प्रस्तुत प्रतिदावे पर न्यायालय विचार नहीं कर सकता।

(11) साक्षियों के कथन पूर्णता में पढ़े जाने चाहिए शब्दों और वाक्यों को अलग कर विलगता से नहीं पढ़ा जा सकता।

(12) पहचान परेड परीक्षा में भाग लेने से इनकार करना अभियुक्त के दोषी अन्तःकरण को स्थापित करता है और इस तथ्य को सारवान महत्व दिया जाना चाहिए।

(13) न्यायालय को न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसी शक्ति और विवेकाधिकार है कि वह किसी आवश्यक दस्तावेज को प्रस्तुत करने और ग्राह्य करने का आदेश दे सकती है।

(14) कारण लिखना यह सुनिश्चित करता है कि निर्णयकर्ता द्वारा अनुचित बातों को अमान्य करने के द्वारा सुसंगत आधारों पर निर्णय लेने में विवेक का प्रयोग किया गया है।

(15) पट्टे के पर्यवसान पर पट्टेदार, पट्टाकर्ता को सम्पत्ति का कब्जा देने के लिये आबद्ध है।

5. **Translate the following 15 Sentences into Hindi :-** **15**
निम्नलिखित 15 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :–

(1) The trial court ordered for effecting partition by metes and bounds accordingly.

(2) Hence, the impugned orders are patently illegal, arbitrary and deserve to be set aside.

(3) It is not purely interlocutory in nature, but quasi-final or intermediate order.

(4) Whether mental awareness of a particular place is a fact contemplated in Section-27 of the Evidence Act ?

(5) Probative value of the material on record has to be seen by the court.

(6) As per the autopsy report the injuries were antemortem and the cause of death was smothering and throttling.

(7) Reasoned order is indeed the blood of judicial life and justifies the principle that "Reason is the soul of justice."

(8) It is settled law that first information report and statements recorded under section 161 of Cr.P.C. are not substantial evidence.

(9) It shall be the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.

(10) The learned Trial Court has held that the prosecution has proved the case beyond reasonable doubt.

(11) The court may at any stage of the suit, reject any document which it considers irrelevant or otherwise inadmissible, recording the ground.

(12) In the case of a continuing offence a fresh period of limitation shall begin to run every moment of the time during which the offence continues.

(13) Whether the plaintiff is entitled to any interest, if yes, then from which date and on what amount ?

(14) A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience and advantage.

(15) This provision does not extend to the case in which harbouring is by the husband or wife of the offender.

****